

11. Discuss the scope of Writ of Certiorari. Point out the difference between Writ of Certiorari and Writ of Prohibition.

उत्प्रेषण याचिका के विस्तार की विवेचना कीजिये। उत्प्रेषण याचिका एवं प्रतिषेध याचिका में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

12. Comment upon the institution of Lokayukta. Explain its functions and powers.

लोकायुक्त संस्था पर टिप्पणी कीजिये। इसके कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिये।

13. What is Public Interest Litigation? Explain about its origin and development. Refer to decided cases.

लोकहित वाद क्या है? इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में व्याख्या कीजिये। निर्णीत वादों का हवाला दीजिये।

A

(20623)

B.A. LL.B.- VIII- Sem.

Printed Pages : 4

Roll No.

NS-3529

B.A. LL.B. Examination, June-2023

ADMINISTRATIVE LAW

(BL-8001)

(New Course)

Time : 3 hours]

[Maximum marks : 100

Note: Attempt all the sections as per instructions.

नोट: सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिये।

Section-A (खण्ड-अ)

(Very Short Answer Questions) (अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note: Attempt all five questions. Each question carries 4 marks. Very Short Answer required not exceeding 75 words. $5 \times 4 = 20$

नोट: सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

1. Define the term 'Administrative Law'.
'प्रशासनिक विधि को परिभाषित कीजिए।'
2. Explain the term 'Droit Administratif'.

वाक्यांश 'ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिफ' की व्याख्या कीजिए।

(2)

3. What is the necessity of Delegated Legislation?
प्रत्यायोजित विधान की क्या आवश्यकता है?
4. What is Natural Justice?
प्राकृतिक न्याय क्या है?
5. What is writ of Quo-Warranto?
अधिकार-प्रच्छा याचिका क्या है?

Section-B (खण्ड-ब)

(Short Answer Type Questions) (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note: This section contains three questions, attempt any two questions. Each question carries 10 marks.
 $2 \times 10 = 20$

नोट: इस खण्ड में तीन प्रश्न हैं। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

6. Explain the doctrine of 'Separation of Powers'. How is this doctrine relevant in India?
'शक्ति-पृथक्करण' के सिद्धान्त की विवेचना कीजिये। यह सिद्धान्त भारत में कैसे प्रासंगिक है?
7. "No person shall be a judge of his own cause".
Comment.
"कोई व्यक्ति अपने स्वयं के वाद में न्यायाधीश नहीं होगा।" व्याख्या कीजिये।

NS-3529

(3)

8. Write a short note on Central Administrative Tribunal.
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण पर लघु टिप्पणी लिखिये।

Section-C (खण्ड-स)

(Objective Type Questions) (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note: This section contains five questions, attempt any three questions. Each question carries 20 marks.
Answer is required in detail. $3 \times 20 = 60$

नोट: इस खण्ड में पाँच प्रश्न हैं। किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. Discuss the Parliamentary Control over Delegated Legislation.
प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियन्त्रण की विवेचना कीजिये।
10. With the help of decided cases, discuss the 'Rule against Bias'.
निर्णीत वादों की सहायता से 'पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम' की विवेचना कीजिये।

NS-3529

[P.T.O.]